

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टी.ए./3270/2005/भरतपुर कमला देवी बनाम सरकार</p>	<p>नम्बर व तारीख</p>
	<p style="text-align: center;">न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर खण्डपीठ श्री गणेश कुमार, सदस्य डॉ श्रवण कुमार बुनकर, सदस्य</p> <p style="text-align: center;">आदेश दिनांक 11.07.2022</p> <p>अपीलार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। रेस्पोंडेन्ट संख्या-2 के अधिवक्ता अनुपस्थित। उप राजकीय अधिवक्ता श्री रामसुख चौधरी उपस्थित।</p> <p>पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि दिनांक 25-06-2019 के आदेश द्वारा यह बात रिकार्ड पर आई है कि एक मात्र अपीलार्थी का निधन हो चुका है, उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाना है इस हेतु पत्रावली निर्णय से रिलीज की गई है परन्तु आज तक अपीलान्ट कमला देवी (मृतक) के वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही उसके वारिसान की तरफ से नहीं की गयी है। अतः अपील स्वतः ही अर्बेट हो चुकी है और अपीलान्ट अधिवक्ता का वकालतनामा भी अपीलान्ट की मृत्यु होने पर समाप्त हो चुका है।</p> <p>अतः अपीलार्थी की यह अपील अर्बेट होने के कारण खारिज की जाती है।</p> <p>आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(डॉ श्रवण कुमार बुनकर) सदस्य</p> <p style="text-align: center;">(गणेश कुमार) सदस्य</p>	

